



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 ज्येष्ठ 1940 (श०)
(सं० पटना 562) पटना, बुधवार, 13 जून 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
13 जून 2018

एस० ओ० 186 दिनांक 13 जून 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं यथा :--

1. (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।
(2) जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये नियम दिनांक 13 जून, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में,--
 - (i) नियम 37 के उपनियम (1) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह और कि धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार जोड़ी गई किसी रकम के मद्दे प्रदायों के मूल्य को धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा।”;
 - (ii) नियम 83 के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "अठारह मास" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) 1 जुलाई, 2017 से, नियम 89 में, उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

“(5) विपरीत शुल्क ढांचा के मद्दे प्रतिदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय, का प्रतिदाय, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिया जाएगा:--

अधिकतम प्रतिदाय की रकम= {(व्युत्क्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त) x शुद्ध आईटीसी + समायोजित कुल आवर्त} - ऐसे व्युत्क्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेय कर।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए,--

(क) “शुद्ध आईटीसी” पद से सुसंगत अवधि के दौरान, ऐसे उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न, जिसके लिए उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, इनपुटों पर उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है; और

(ख) “समायोजित कुल आवर्त” पद का वही अर्थ होगा जो उपनियम (4) में उसका है।”;

(iv) 1 जुलाई, 2017 से, नियम 95 के उपनियम (3) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से, माल का आवक प्रदाय या सेवाएं या दोनों किसी कर बीजक के विरुद्ध प्राप्त किए गए थे;”;

(v) नियम 97 के उपनियम (1) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह और कि माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 11 के साथ पठित धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन अवधारित उपकर की रकम के पचास प्रतिशत के समतुल्य रकम निधि में जमा की जाएगी।”;

(vi) नियम 133 के उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(3) जहां प्राधिकरण यह अवधारित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, प्राप्तिकर्ता को माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा, कीमत में आनुपातिक कमी के रूप में नहीं दिया था, वहां प्राधिकरण,--

(क) कीमतों में कमी करने ;

(ख) प्राप्तिकर्ता को, उच्चतर रकम के संग्रहण की तारीख से, यथास्थिति, ऐसी रकम की वापसी या ब्याज सहित वापस न की गई रकम की वसूली की तारीख तक, अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित कीमतों में

आनुपातिक कमी के रूप में नहीं दी गई रकम के समतुल्य रकम को वापस करने ;

(ग) जहां पात्र व्यक्ति ने रकम की वापसी का दावा नहीं किया है या उसकी पहचान नहीं हुई है, वहां उपरोक्त खंड के अधीन अवधारित रकम के पचास प्रतिशत के समतुल्य रकम को, धारा 57 के अधीन गठित निधि में और रकम का शेष पचास प्रतिशत संबद्ध राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 57 के अधीन गठित निधि में जमा करने ;

(घ) अधिनियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट शास्ति के अधिरोपण ; और

(ङ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण, का आदेश कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, “संबद्ध राज्य” पद से ऐसा राज्य अभिप्रेत है, जिसके संबंध में प्राधिकरण ने आदेश पारित किया है ।“;

(vii) नियम 138 के उपनियम (14) के खंड (ढ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(ण) जहां प्रदाय से भिन्न किन्हीं कारणों से, द्रवित पेट्रोलियम गैस की पैकिंग के लिए खाली सिलेंडरों को हटाया जाता है ।”;

(viii) प्ररूप जीएसटीआर-4 में, अनुदेशों में, क्रम सं0 10 पर दिए गए अनुदेश के स्थान पर, निम्नलिखित अनुदेश रखा जाएगा, अर्थात् :--

“10. जुलाई, 2017 से सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017 से दिसंबर, 2017, जनवरी, 2018 से मार्च, 2018 और अप्रैल, 2018 से जून, 2018 तक की कर अवधियों के लिए सारणी 4 का क्रम 4क नहीं दिया जाएगा ।”।

(ix) 1 जुलाई, 2017 से प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01 के भाग आ में,--

(क) क्रम संख्या 4 के सामने, प्रविष्टि (10) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

“(11) कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन विक्रय कर व्यवसाई

(12) कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन कर विवरणी तैयारकर्ता”;

(ख) “सहमति” के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

“घोषणा

में घोषणा करता हूं कि :-

(i) मैं भारत का नागरिक हूं;

(ii) मैं स्वस्थ चित्त का व्यक्ति हूं

(iii) मुझे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णित नहीं किया गया है; और

- (iv) मुझे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है।";
- (x) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 के उपाबंध-1 में,
- (क) विवरण 1क के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:--

"विवरण 1क

[नियम 89(2)(ज)देखें]

प्रतिदाय किस्म : विपर्यस्त कर ढांचे के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

क्रम सं.	प्राप्त प्रदायों के आवक बीजकों के ब्यौरे				आवक प्रदायों पर संदत्त कर			जारी जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे			जावक प्रदायों पर संदत्त कर		
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													”;

(ख) विवरण 5ख के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"विवरण 5ख

[नियम 89(2)(छ)देखें]

प्रतिदाय किस्म : समझे गए निर्यातों के मद्दे

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे/प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				संदत्त कर			
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								”;

(xi) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01क, के उपाबंध-1 में,--

(क) "विवरण 1क के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:--

"विवरण 1क

[नियम 89(2)(ज)देखें]

प्रतिदाय किस्म : विपर्यस्त कर ढांचे के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

क्र म सं.	प्राप्त प्रदायों के आवक बीजकों के ब्यौरे				आवक प्रदायों पर संदत्त कर			जारी जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे			जावक प्रदायों पर संदत्त कर		
	प्रदायकर्ता का जीएसटी आईएन	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													“

(ख) विवरण 5ख के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:-

"विवरण 5ख

[नियम 89(2)(छ)देखें]

प्रतिदाय किस्म : समझे गए निर्यातों के मद्दे

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे/प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				संदत्त कर			
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)-1725)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एस० सिद्धार्थ,

प्रधान सचिव।

13 जून 2018

एस०ओ० 186, दिनांक 13 जून 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)-1725)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एस० सिद्धार्थ,

प्रधान सचिव।

The 13th June 2018

S.O. 186 Dated 13th June 2018 —In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2018.
- (2) Save as otherwise provided, they shall come into force with effect from 13th June, 2018.
2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, -
 - (i) in rule 37, in sub-rule (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
 “Provided further that the value of supplies on account of any amount added in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (2) of section 15 shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to sub-section (2) of section 16.”;
 - (ii) in rule 83, in sub-rule (3), in the second proviso, for the words “one year”, the words “eighteen months” shall be substituted;
 - (iii) with effect from 01st July, 2017, in rule 89, for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely:-
 “(5) In the case of refund on account of inverted duty structure, refund of input tax credit shall be granted as per the following formula:-

$$\text{Maximum Refund Amount} = \{(\text{Turnover of inverted rated supply of goods and services}) \times \text{Net ITC} \div \text{Adjusted Total Turnover}\} - \text{tax payable on such inverted rated supply of goods and services.}$$

Explanation:- For the purposes of this sub-rule, the expressions —

- (a) Net ITC shall mean input tax credit availed on inputs during the relevant period other than the input tax credit availed for which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both; and
- (b) Adjusted Total turnover shall have the same meaning as assigned to it in sub-rule (4).”
- (iv) with effect from 01st July, 2017, in rule 95, in sub-rule (3), for clause (a), the following shall be substituted, namely:-
 “(a) the inward supplies of goods or services or both were received from a registered person against a tax invoice;”;
- (v) in rule 97, in sub-rule (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—
 “Provided further that an amount equivalent to fifty per cent. of the amount of cess determined under sub-section (5) of section 54 read with section 11 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), shall be deposited in the Fund.”;
- (vi) in rule 133, for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:-
 “(3) Where the Authority determines that a registered person has not passed on the benefit of the reduction in the rate of tax on the supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices, the Authority may order-

- (a) reduction in prices;
- (b) return to the recipient, an amount equivalent to the amount not passed on by way of commensurate reduction in prices along with interest at the rate of eighteen percent. from the date of collection of the higher amount till the date of the return of such amount or recovery of the amount including interest not returned, as the case may be;
- (c) the deposit of an amount equivalent to fifty per cent. of the amount determined under the above clause in the Fund constituted under section 57 and the remaining fifty per cent. of the amount in the Fund constituted under section 57 of the Goods and Services Tax Act, 2017 of the concerned State, where the eligible person does not claim return of the amount or is not identifiable;
- (d) imposition of penalty as specified under the Act; and
- (e) cancellation of registration under the Act.

Explanation: For the purpose of this sub-rule, the expression, “concerned State” means the State in respect of which the Authority passes an order.”;

- (vii) in rule 138, in sub-rule (14), after clause (n), the following clause shall be inserted, namely:-

“(o) where empty cylinders for packing of liquefied petroleum gas are being moved for reasons other than supply.”;

- (viii) in **FORM GSTR-4**, in the Instructions, for Sl. No. 10, the following shall be substituted, namely:-

“10. For the tax periods July, 2017 to September, 2017, October, 2017 to December, 2017, January, 2018 to March, 2018 and April, 2018 to June, 2018, serial 4A of Table 4 shall not be furnished.”;

- (ix) with effect from 01st July, 2017, in **FORM GST PCT-01**, in PART B,

- (a) against Sl. No. 4, after entry (10), the following shall be inserted, namely:-

“(11) Sales Tax practitioner under existing law for a period of not less than five years

(12) tax return preparer under existing law for a period of not less than five years”;

- (b) after the “**Consent**”, the following shall be inserted, namely:-

“Declaration—

I hereby declare that:

- (i) *I am a citizen of India;*
- (ii) *I am a person of sound mind;*
- (iii) *I have not been adjudicated as an insolvent; and*
- (iv) *I have not been convicted by a competent court.”;*

- (x) in **FORM GST RFD-01**, in Annexure-1,

- (a) for Statement 1A, the following Statement shall be substituted, namely:-

“Statement 1A

[see rule 89(2)(h)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

Sl. No.	Details of invoices of inward supplies received				Tax paid on inward supplies			Details of invoices of outward supplies issued			Tax paid on outward supplies		
	GSTIN of the supplier	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax /Union territory Tax	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax /Union territory Tax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													”;

(b) for Statement 5B, the following Statement shall be substituted, namely:-

“Statement 5B

[see rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in Rs)

Sl. No.	Details of invoices of outward supplies in case refund is claimed by supplier/Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient				Tax paid			
	GSTIN of the supplier	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax /Union Territory Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								”;

(xi) in **FORM GST RFD-01A**, in Annexure-1,

(a) for Statement 1A, the following Statement shall be substituted, namely:-

“Statement 1A

[see rule 89(2)(h)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

Sl. No.	Details of invoices of inward supplies received				Tax paid on inward supplies			Details of invoices of outward supplies issued			Tax paid on outward supplies		
	GSTIN of the supplier	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax /Union territory Tax	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax /Union territory Tax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													”;

(b) for Statement 5B, the following Statement shall be substituted, namely:-

“Statement 5B

[see rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in Rs)

Sl. No.	Details of invoices of outward supplies in case refund is claimed by supplier/Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient				Tax paid			
	GSTIN of the supplier	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax /Union Territory Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								.”

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-2)1725)]

By the order of Governor of Bihar,

S. SIDDHARTH,

Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 562-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>